

| | |
|------------------------|---|
| <p>तारीख हुक्म</p> | <p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> |
|------------------------|---|

15/09/22

पत्रावली पेश हुई।
वकील प्राधी अनु।
वकील अप्राधी अनु।
दोनों पक्षकारानु के अखिवस्ता अनु रखे
से पत्रावली में कटल हुआ जाना संभव
नहीं है कतः न्यायहित को ध्यान में
रखते हुए पत्रावली का चेदा दि-18/10/22
को पेश हो।

जिला कलेक्टर, पाली

18/10/22

पत्रावली पेश हुई।
वकील प्राधी अनु।
वकील अप्राधी अनु।
दोनों पक्षकारानु अखिवस्ता गार पेशी
दि. 15/09/2022 को भी अनुपाचित रहे हैं।
आदेशिका दि- 03/10/2017 अनुसार
प्रकरण में पुनः सुनवाई कर निर्णय
किया जाना है परन्तु अखिवस्ता पक्षकारानु
लम्बे समय से प्रकरण में उपाध्याय
नहीं कर रहे हैं जिससे सुनवाई ठिकी
जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

बात-बात आवाजे दिली जाने के
उपरान्त भी अखिवस्ता प्राधी एवं अप्राधी
न्यायालय में उपस्थित नहीं आये, लिहाज
निगरानी अदम पेरवी-अदम हाजरी में
खारिज की जाती है।

पत्रावली फलतः शुभाह टोडर
नम्बर ले भ भ।

जिला कलेक्टर, पाली